कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत।

आदेश संख्या / बे0शि0 / सेवा–2 / 129 / नियुक्ति / 2021–22 / दिनांक 24 सितम्बर 2021

नियुक्ति आदेश

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 के प्राविधानों एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या प्रा0शि0–दो(02) / 419(II) / 2020 / 6118–21 / 2021–22 दिनांक 14–09–2021 के अनुकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स0अ0 के पद पर वेतन मैट्रिक्स 34500–112400 लेबल 6 में नितान्त अस्थाई रूप से दो वर्षो के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति नितान्त अस्थाई है और कभी भी एक माह के नोटिस पर सेवा समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 903 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या 350 / एस0एस0 / 2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) डिप्लोमाधारक अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हो तथा कक्षा 01 से 05 तक पढ़ाने के लिए उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक में 06 माह का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अर्हताऐं पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवाये समाप्त कर दी जायेगी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है। किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या 21 / XXVII(07) / अ0पै0यो0 / 2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नयी परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम / पता	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	जाति	नियुक्त विद्यालय का नाम / विकासखण्ड	अन्य विवरण
1	जीवन चन्द्र	श्री रमेश चन्द्र	ग्राम–सिरना, पो0–चौडामेहता, तहसील–पाटी, जिला–चम्पावत	सामान्य	रा0प्रा0वि0 बमन्यूड़ा, चम्पावत	सामान्य विषय
2	मोनिका	श्री ओमप्रकाश	संजय कालौनी, आवास विकास पो0–भोटियापडाव, हल्द्वानी जिला–नैनीताल	अनुसूचित जाति	रा0प्रा0वि0 तल्लाबापरू, बाराकोट	विज्ञान
3	राजीव कुमार	श्री गोपाली सिंह	ग्राम–श्यामनगर, पो0–शिवराजपुर, तहसील–जसपुर, जिल–ऊधमसिंह नगर	अनुसूचित जाति	रा0प्रा0वि0 ऐड़ीगुरौली, चम्पावत	हिन्दी भाषा

1. अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करेंगे।
2. अभ्यर्थी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
3. अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला चलायमान न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24/9/2021
(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत।

पृ0संख्याः बे0शि0 / सेवा–2 / 2020-37 / नियुक्ति / 2021–22 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
6. प्राचार्य, जिला संशाधन केन्द्र लोहाघाट।
7. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी।
9. प्र0अ0 सम्बन्धित विद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक के समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर ले एवं समस्त प्रमाण पत्रों की तीन सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर ले। एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखे तथा दो प्रति उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका।
11. कार्यालय पत्रावली।

24/9/2021

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत।